सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि / प्रशा.1 / वि.अ / संस्था / ~~स्था.नि.~~ / 2019 / 2113 जयपुर दिनांकः– 6/11/19

विकास अधिकारी
पंचायत समिति समस्त।

विषयः–पंचायत समिति कार्यालय में स्थापित राजकीय दूरभाष (लैण्डलाईन फोन) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पंचायत समितियों में स्थापित राजकीय दूरभाष काफी दिनों तक खराब पडे रहतें है अथवा विच्छेद कर दिये जाते हैं, जिससे कि सम्बन्धित पंचायत समिति में आवश्यकता होने पर सम्पर्क स्थापित किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय में स्थापित राजकीय दूरभाष (लैण्डलाईन फोन) को 15 दिवस में चालू अथवा स्थापित करवाकर दूरभाष नम्बर की सूचना विभाग को भिजवावें। निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी विभाग को अग्रेषित करावें।

(गौरव चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त(प्रशा॰1)